

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 36/2021

दिनांक : 05.10.2021

निर्णय:-



प्रार्थी श्री...हनुमानाराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...सुरज्याराम.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम...अंठवास्त्रिया.....पटवार मण्डल...धौलपुर.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071 to 2074...के खाता संख्या...248.....में  
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का...धौलपुर.....से करवाने पर पटवारी ने...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...के  
बजाय...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...  
के बजाय...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम...धौलपुर.....  
के खाता संख्या...248.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से...हनुमानाराम पुत्र सुरज्याराम...दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

05/10/21  
उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु

1212  
9-10-21

